FAX

संख्या-1162/1-10-2014-33(57)/2013

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, मीरजापुर, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, इलाहाबाद, कुशीनगर, मऊ, देवरिया, महराजगंज, अम्बेडकर नगर, मुजफफरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, सम्भल, बागपत, मेरठ, अमरोहा, लखनऊ, अलीगढ़, फिरोजाबाद एवं बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक :31 दिसम्बर, 2014

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए जनपदों में खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराना है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-1082/1-10-2014-33(57)/2013, दिनांक 08.12.2014 द्वारा आपदाओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर उनके क्षमता संबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान माकड्रिल के माध्यम से खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के प्रयोग कर आपदाओं के समय अपना एवं समुदाय के लोगों का बचाव किए जाने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए उपकरण जनपद स्तर पर क्रय किये जाने का निर्णय लेते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है।

2- उक्त निर्णय के क्रम में सम्बन्धित उपकरणों को क्रय किये जाने के लिए सम्बन्धित जनपदों को निम्नानुसार **रू0 9,23,40,000/- (रूपये नौ करोड़ तेइस लाख चालीस हजार मात्र)** को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रूपये मे)
1	आजमगढ़	34,20,000

2	मीरजापुर	34,20,000
3	गाजीपुर	34,20,000
4	चन्दौली	34,20,000
5	वाराणसी	34,20,000
6	इलाहाबाद	34,20,000
7	कुशीनगर	34,20,000
8	मऊ	34,20,000
9	देवरिया	34,20,000
10	महराजगंज	34,20,000
11	अम्बेडकरनगर	34,20,000
12	मुजफफरनगर	34,20,000
13	रामपुर	34,20,000
14	मुरादाबाद	34,20,000
15	शाहजहाँपुर	34,20,000
16	फर्रूखाबाद	34,20,000
17	सहारनपुर	34,20,000
18	बिजनौर	34,20,000
19	शामली	34,20,000
20	सम्भल	34,20,000
21	बागपत	34,20,000
22	मेरठ	34,20,000
23	अमरोहा	34,20,000

24	लखनऊ	34,20,000
25	अलीगढ़	34,20,000
26	फिरोजाबाद	34,20,000
27	बुलन्दशहर	34,20,000
	योग	9,23,40,000

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि से उपकरणों का नियमानुसार क्रय शासनादेश दिनांक 08.12.2014 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय के पश्चात इसका उपभोग प्रमाण पत्र अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों एवं उनके अभिलेखों का रख-रखाव जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

6- किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-1162 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।